रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252522
CG-DL-E-01032024-252522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 942] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 942] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

का.आ. 987(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को कम करके सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनकी हकदारियाँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है),औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम(जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है), की केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अधीन महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिसे सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं जैसे कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अभिकरणों के अभिकरणों से वार्षिक आवती अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसके अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थानों,पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाएँ और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास,यानि गैर सरकारी संगठन (जिसे इसमें इसके पाश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया जाता है।विभाग, स्कीम के अधीन, उन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी और वित्तीय सशक्तिकरण हेतु प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग के लिए सुसंगत है:

और, स्कीम के अधीन,कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उन महिलाओं को मुफ़्त प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान किया जाता है जो भारतीय नागरिक हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है):

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब,आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों,प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम,2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणित कराना होगा:

(ख) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगा:

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार,विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है,जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु जब तक व्यक्ति को आधार नहीं समनुदेशित किया जाता है, तब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को फायदे दिए जाएंगे,जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक,अर्थात: -

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस: या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र ; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु, इसके अतिरिक्त,उपरोक्त दस्तावेजों को उस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं,निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे,अर्थात्: -

(क) खराब फिंगरप्रिंट क्वालिटी के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आइरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा,और विभाग अपने, कार्यान्वयन अभकरणों के माध्यम से निर्बाध रीति से फायदा प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ–साथ आइरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा:

(ख) यदि उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो, जहां भी व्यवहार्य और अनुज्ञेय हो,सीमित समय की विधिमान्यता वाले यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहाँ स्कीम के अधीन भौतिक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर फायदे दिए जा सकते हैं, आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर कोड) के माध्यम से जिसका अधिप्रमाणन सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय फ़ायदों से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से,19 दिसंबर 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (इक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[सं. डीएसआईआर/डीबीटी-सर्विस प्लस/टीडीयूपीडब्ल्यू/2020/01]

सुरिंदरपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Scientific and Industrial Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

S.O. 987(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology in the Government of India (*hereinafter referred to as the Department*), is administering Technology Development and Utilisation Programme for Women under the Central Sector Scheme of Industrial Research and Development Programme (*hereinafter referred to as the Scheme*), which are implemented centrally through public funded institutions, such as institutions receiving annual recurring grants from the Central Government Agencies or State Government Agencies including the Council of Scientific and Industrial Research, Indian Universities, academic institutions, Research and Development institutions, public sector undertakings, institutions registered under the Societies Registration Act 1860 (2 of 1860) and Trusts registered under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), that is Non-Governmental Organisations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies). Department, under the scheme, provides financial support and technical guidance to the implementing agencies for projects, which are relevant to technology development and utilization for reduction of drudgery and financial empowerment of women;

And whereas, under the scheme, free training (hereinafter referred to as benefits) is provided to women who are Indian citizens (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the implementing agencies;

And whereas, the Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the training programme provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website: www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post Office Passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number Card (PAN); or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee job card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter

and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agencies.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of her due benefits, the Department through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect in all the States and Union territories on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. DSIR/DBT-Serviceplus/TDUPW/2020/01]

SURENDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.